न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 161/2023 | दायर दिनांक 15.05.2023 | निर्णय दिनांक 24.08.2023

उनवान

1. रामलाल पुत्र भैरू जाट निवासी हलेड तहसील कोटडी जिला भीलवाडा। — प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति गोरी देवी पत्नी कल्याण जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बद्री पुत्र हजारी जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
3. बाली पुत्री भवाना जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रेमदास पुत्र हीरादास वैष्णव निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रामेश्वर पुत्र कजोड जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
6. अम्बालाल पुत्र सोनाथ जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
7. जगदीश पुत्र सोनाथ जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 779 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1856 रकबा 0.2276 है0 आ.नं. 1857 रकबा 0.0885 है0 आ0नं0 872 रकबा 1.2645 है0 किता 03 रकबा 1.5806 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 779 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1856 रकबा 0.2276 है0 आ.नं. 1857 रकबा 0.0885 है0 आ0नं0 872 रकबा 1.2645 है0 किता 03 रकबा 1.5806 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा